न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

मो० मंजूर आलम वगै० बनाम चमेली देवी वगै०

वाद संख्या –149 / 2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14/12/23	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा–कोयरीडीह, थाना–सरिया, अंचल–सरिया, जिला–गिरिडीह, खाता न०–130, प्लॉट न०–65, रकवा–5 डी० , चौहद्दी– उ०–आज के खरीदगी समीना खातुन, द०–रामजान मियां, पू०–रास्ता, प०–नीज, रकवा–3 डी०, चौहद्दी– उ०–प्लॉट न० 64 मकान, द०–रामजान मियां, पू०–रास्ता, प०–बुधू राम, रकवा–4 डी०, चौहद्दी– उ०–जुजो प्लॉट मोकिरान, द०–खरीदगी इमरोजे समीना खातुन प्लॉट 64, पू०–रास्ता, प०–नीज, रकवा–11 डी०, चौहद्दी– उ०–भोला साव, द०–नीज, पू०–कन्हाय राम, प०–लेख्यकारी पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा दाखिल कर बताया की प्रश्नागत वाद की भूमि प्रथम पक्ष एवं प्रथम पक्ष के परिवार के सदस्यों को 3 अलग–अलग केवाला से हासिल है, प्रथम पक्ष के केवाला अनुसार जमाबंदी कायम करा कर प्रथम पक्ष राजस्व रशीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। वाद की भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा केवाला प्राप्त करने के बाद से हीं नियमित रूप से रहता चला आ रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। 1. केवाला संख्या 8157 की छायाप्रति। 2. केवाला संख्या 8158 की छायाप्रति। 3. केवाला संख्या अपठनीय दिनांक 26.06.1968 की छायाप्रति। 4. केवाला संख्या 13595 की छायाप्रति। 5. ऑनलाइन राजस्व रशीद की छायाप्रति। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि प्रश्नागत वाद की भूमि द्वितीय पक्ष को केवाला संख्या 849 के द्वारा हासिल है एवं तब से द्वितीय पक्ष शांति पूर्वक चले आ रहे हैं द्वितीय पक्ष के भूमि विक्रेता के द्वारा दिनांक 22.08.2022 को द्वितीय पक्ष के नाम पर एक एग्रीमेन्ट भी निषपादित किया गया है। द्वितीय पक्ष प्रश्नागत वाद की भूमि पर दखलकार है।	

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

1. केवाला संख्या 849 की छायाप्रति।
2. दिनांक 07.12.2022 को निषपादित एग्रीमेन्ट की छायाप्रति।
3. दिनांक 22.08.2022 को निषपादित एग्रीमेन्ट की छायाप्रति।

थाना प्रभारी सरिया के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में बतलाया गया है वाद की भूमि प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है एवं उभय पक्ष के बीच विधि–व्यवस्था भंग होने की संभावना हैं।

उभय पक्षों के अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नागत भूमि पर हक–हकियत से संबंधित विवाद है जिसका निष्पादन इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में नहीं है। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है सक्षम न्यायालय में वाद लाकर अपना–अपना दावा प्रस्तुत करते हुए विवाद का निपटारा कर लें। तब तक क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाये रखें। उक्त वाद में किसी पक्ष के हित में आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त आशय के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। उक्त आदेश का परिचालन द०प्र०सं० की धारा 144 (4) के अधीन प्रभावी होगा।

14/12/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

14/12/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 14:20:22 +05:30
Location: 192.168.1.3